संख्या—३५६/पाँच—1—14—3(11)/14

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग—1 लखनऊः दिनाँकः 23 मई, 2014

विषयः— प्रदेश के तेजाब (एसिड) के हमले से पीड़ित व्यक्तियों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या—129/2006, लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—12—2013 के अन्तर्गत तेजाब (एसिड) के हमले से महिलाओं आदि को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति को सख्ती से नियन्त्रित करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा तेजाब पीड़ितों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय के संगत आदेश दिनांक 03—12—2013 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेजाब के हमले से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय और मण्डलीय स्तर के चिकित्सालयों को तेजाब पीड़ितों की चिकित्सकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार उच्चीकृत किया जाय। कृपया इस संबंध में प्रदेश की समस्त मण्डलीय/जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्तानुसार तेजाब के हमले से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक प्रभाव से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—3/1067—दस—14, दि0 16—05—2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः— यथोक्त।

भवदीय,

/

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

(8)

संख्या—346 / पॉच—1—14—3(11)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
6— प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7— वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग—3/वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग—12/गृह(पुलिस) अनुभाग—9
8— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
9— पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0।
10— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
11— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि सार्वजनिक जानकारी हेतु उक्त का प्रचार—प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
12— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0
13— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0/ समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
14— समस्त जिलाधिकारी/जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपदीय पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
15— समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष/महिला), उ0प्र0।
16— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
17— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
18— गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/ई—मेल द्वारा

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 11फ/4692 लखनऊ, दिनांकः 28 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को पुनः इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश संख्या—346/पांच—1—14—3(11)/14, दिनांक 23.05.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें :—

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग—1 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/10/2014

(सुशीला पन्त)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)